तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर रोक

[बिहार सरकार मंत्रिमंडल सचिवालय पत्र संख्या - 3/सी० एस०/एम०-30-11/94-2081 दिनांक 4-6-1994 की प्रतिलिपि ।]

विषय :- तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों के सामान्य स्थानान्तरण पर रोक ।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि सरकार के समक्ष तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों के बड़े पैमाने पर स्थानान्तरण का मामला विचाराधीन था । सरकार द्वारा पूर्ण समीक्षोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि जब तक स्थानान्तरण करने के लिए विशेष परिस्थिति नहीं हो अथवा प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्थानान्तरण करना आवश्यक नहीं हो तब तक तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों का सामान्य स्थानान्तरण अगले आदेश तक नहीं किया जाय ।

अत: अनुरोध है कि सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में विशेष परिस्थिति एवं प्रशासनिक द्वष्टिकोण के मामलों में तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों का सामान्य स्थानान्तरण नहीं किया जाय ।

कृपया इससे अपने अधीनस्थ सभी पदाधिकारियों को अवगत करा दिया जाय ।

[ज्ञाप संख्या -3057 वि० (2), दिनांक 27-6-1994 की प्रतिलिपि ।]

विषय : तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर रोक ।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि सरकार के समक्ष तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों के बड़े पैमाने पर स्थानान्तरण का मामला विचाराधीन था । सरकार द्वारा पूर्ण सभी समीक्षोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि जब तक स्थानान्तरण करने के लिये विशेष परिस्थिति नहीं हो अथवा प्रशासनिक दृष्टिकोण तबतक तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों का सामान्य स्थानान्तरण अगले आदेश तक नहीं किया जाय ।

2. अत: अनुरोध है कि सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में विशेष परिस्थिति एवं प्रशासनिक द्वष्टिकोण के मामलों को छोड़कर शेष मामलों में तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों का सामान्य स्थानान्तरण नहीं किया जाय ।

कृपया इसे अपने अधीनस्थ सभी पदाधिकारियों को अवगत करा दिया जाय ।

संघ/ महासंघ के पदाधिकारियों के स्थानान्तरण सम्बन्धी

[बिहार सरकार, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग पत्र संख्या -बी/संघ 3-102/95- 903 दिनांक 17 मई, 1995 की प्रतिलिपि ।]

विषय :- संघ/महासंघ के पदधारकों के स्थानान्तरण को बन्द करने के संबंध में ।

निदेशानुसार मुझे कहना है कि उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के पत्रांक 988 दिनांक 11-5-92 के क्रम में कई पत्र निर्गत हुए हैं जिसमें यह निदेश दिया गया था कि संघ/महासंघ के पदधारकों का स्थानान्तरण नहीं किया जाय और अगर स्थानान्तरण कर दिया गया है तो उसे अविलम्ब रद्द कर दिया जाय । लेकिन कई निदेश के बावजूद भी सरकार को ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि अनेक पद धारकों का स्थानान्तरण लगातार किया जा रहा है और स्थानान्तरित पदधारकों का स्थानान्तरण रद्द नहीं किया जा रहा है । पत्र संख्या 988 दिनांक 11-5-92 में निहित आदेश के आलोक में कार्रवाई करने की कृपा

करें तथा इस विन्दु पर किये गये कार्रवाई से मंत्रिमंडल सचिवालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

शिक्षकों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में

[विहार सरकार, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, पत्रांक संख्या 92 दिनांक 18 जनवरी, 1995 की प्रतिलिपि ।]

विषय - माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के आवधिक एवं गृह जिला से बाहर स्थानान्तरण के सम्बन्ध में ।

निदेशानुसार मुझे कहना है कि सरकार के ध्यान में यह बात लायी गयी है कि शिक्षण कार्य की प्रकृति के आलोक में यह कार्यहित में नहीं है कि सामान्य कर्मियों की भाँति शिक्षकों को भी अवांधक अन्तराल पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान्यत: स्थानान्तरित कर दिया जाय। यह बात भी ध्यान में लायी गयी है कि एक शिक्षक की सेवा एक ही विद्यालय में लगातार बने रहने से शैक्षणिक वातावरण में उन्नयन की गुंजाईश रहती है । सरकार से अनुरोध किया गया है कि उपर्युक्त के परिपेक्ष्य में मानव संसाधन विकास विभाग की अधिसूचना संख्या-437 दिनांक 28-4-1988 को सभ्यक् रूप से संशोधित करने पर विचार किया जाना चाहिए ।

अतएव निदेशानुसार अनुरोध है कि अपने विभाग की अधिसूचना संख्या 437 दिनांक 28-4-1988 में आवश्यक संशोधन तुरन्त करें ।

महासंघ/संघ के पदाधिकारी के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में

[विहार सरकार, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, पत्र संख्या 93 दिनांक 18 जनवरी, 1995 की प्रतिलिपि ।]

विषय:- महासंघ/संघ के पदधारकों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में ।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे कहना है कि सरकार को ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि महासंघ/संघ के पदधारकों का स्थानान्तरण किया गया है जो इस विषय पर निर्गत सरकारी परिपत्रों एवं अनुदेशों के विपरीत है । यह भी सूचना दी गयी है कि मात्र इस कारण से की गयी स्थानान्तरण आदेश का पालन नहीं किया गया है, कतिपय इसे पदधारकों को निलंबित कर दिया गया है अथवा अन्य प्रकार से अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है ।

2. राज्य सरकार ने महासंघों/संघों के पदधारकों का स्थानान्तरण नहीं किए जाने के सम्बन्ध में विस्तृत अनुदेश समय-समय पर जारी किए है एवं सरकार की यह मंशा रही है कि उन अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन हो । आपसे अनुरोध है कि यदि आपको ऐसी शिकायतें प्राप्त हो तो उन कर्मचारियों के मामलों की सरकारी परिपत्रों के आलोक में पुन: समीक्षा करें । समीक्षोपरान्त यदि यह पाया जाय कि उन पदधारकों का स्थानान्तरण सरकारी परिपत्रों में निहित प्रावधानों के विपरीत हुआ है तो ऐसे स्थानान्तरण आदेशों की अविलम्ब रद्द कर दें । सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि इस मामलों में, जिनको मात्र इसी कारण से सम्बन्धित पदधारक ने स्थानान्तरण आदेश का अनुपालन नहीं किया है, यदि लम्बित कर दिया गया हो तो निलम्बन से मुक्त कर दिया जाय/ स्थानान्तरण आदेश रद्द करने और निलम्बन से मुक्त करने के आदेश के साथ-साथ स्थानान्तरण अवधि के वेतन को इस विभाग के पत्रांक 988 दिनांक 11-5-1992 की कंडिका -3 के अनुसार विनियमित किया जाय और उक्त परिपत्र के निर्गमन की तिथि के बाद ऐसे मामलों के विनियमना में अगर परिपत्र की कंडिका -3 में निहित अनुदेश से भिन्न कार्रवाई हुई हो